Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/1813/2002/टोंक मदन लाल बनाम गोपाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जे0के0पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थी
विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

––

निर्णय

दिनांकः–01–05–2018

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 18–10–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेश के अनुसार प्रतिवादी/प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही संस्थित की गई है।

मियाद से बाधित हस्तगत निगरानी में कारित विलम्ब को क्षमा करने बाबत प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के प्रस्तुत किया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी को सुना तथा अंकित कारणों का अध्ययन किया है। कारण समुचित होने के कारण मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर हस्तगत निगरानी प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही में उन्हें नोटिस जारी

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/1813/2002/टोंक मदन लाल बनाम गोपाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं किया है, इसके अतिरिक्त प्रार्थी पर नोटिस की तामीली नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किए जाने के बाद उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही में प्रार्थी को नोटिस प्रदान नहीं किया गया है, इस कारण आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। उक्त स्थिति में आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-2000 को निरस्त करने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 181/1983 बउनवान गोपाल बजरंगलाल की कार्यवाही के दौरान वादी व प्रतिवादी दोनों पक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04-5-2000 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में मूल वाद को खारिज कर दिया। उक्त खारिज किए गए वाद को पुनः नम्बर पर लिए जाने बाबत वादी पक्ष द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे आदेश दिनांक 16-5-2000 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आदेशिका दिनांक 28-6-2000 से प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 17-7-2000 तथा 19-9-2000 दी जाकर आक्षेपित आदेश द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही संस्थित कर दी गई।	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/1813/2002/टोंक** **मदन लाल बनाम गोपाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार कि प्रत्येक संबंधित पक्षकारान को अपनी साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पारित किया गया निर्णय श्रेष्ठकर होता है। विधायिका की यह भी मंशा है कि सभी पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने से भविष्य में पक्षकारान को और अधिक जटिल कानूनी पेचिदिगियों का सामना नहीं करना पडता है। कानून की उक्त सम्यक व्याख्या के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद की कार्यवाही में न्यायहित में प्रार्थी/प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत एक अन्तिम अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2000 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायहित में प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद वाद के आगामी विचारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(द्वारका लाल मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/1813/2002/लेंक मदन लाल बनाम गोपाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए